पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर कालवास

अनुवान राजेन्द्र प्रसाद आदि बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या – 197/2025

निर्णय दिनांक 25/6/25

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र दूनीराम जाति जाट निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चूरू
2. मुकेश पुत्र दूनीराम जाति जाट निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चूरू
3. धापां पुत्री दूनीराम जाति जाट निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चूरू
4. सावत्री पुत्री दूनीराम जाति जाट निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थीगण द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाडा शिविर कालवास में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 77 खसरा सं. 676/594 तादादी 6.2593 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम कालवास में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थीगण के पिता दूनीराम की मृत्यु के पश्चात वर्ष 2019 में विरास्तन नामातंकरण के फलस्वरूप राजेन्द्र प्रसाद, मुकेश पुत्र दूनीराम एवं धापां, सावत्री पुत्री दूनीराम दर्ज रिकॉर्ड हुआ। प्रार्थीगण की माता विद्या की मृत्यु पश्चात वर्ष 2025 में विरास्तन नामांतकरण के फलस्वरूप प्रार्थीगण के नाम राजेन्द्र प्रसाद, मुकेश पुत्र विद्या पत्नी दूनीराम, धापां, सावत्री पुत्री विद्या पत्नी दूनीराम दुवारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गये जो कि गलत है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उक्त खसरा भूमि में प्रार्थीगण के दोहरे नाम व हिस्सा की शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण के नाम राजेन्द प्रसाद पुत्र दूनीराम, मुकेश पुत्र दूनीराम, धापां पुत्री दूनीराम व सावत्री पुत्री दूनीराम किये जाने की अभिशंषा की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम कालवास तहसील तारानगर के खाता संख्या 77 खसरा सं. 676/594 तादादी 6.2593 हैक्ट., भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण के नाम क्रमशः धापां पुत्री विद्या पत्नी दूनीराम, मुकेश पुत्र विद्या पत्नी दूनीराम, राजेन्द्रप्रसाद पुत्र विद्या पत्नी दूनीराम, सावत्री पुत्री विद्या पत्नी दूनीराम Delete करने तथा इनका हिस्सा जोड़ते हुये धापां पुत्री दूनीराम, मुकेश पुत्र दूनीरा, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र दूनीराम, सावत्री पुत्री दूनीराम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/06/25 को कैम्प कोर्ट कालवास में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)